

३३

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

२९५/२०१३/२२५

—परगलिन ५/९ राजपाराहण कोरद

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
२९५/२१५	श्री डीपक पारीक पडो श्री
२९/२/२५	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न व इन्टरव बिकारि डिग्रां २९/१/२५ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
२९/४/२५	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न व इन्टरव बिकारि डिग्रां १५/१०/२५ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
१५/१०/२५	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न व हुलवी बिकारि डिग्रां ३१/२/२५ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
०५/१२/२५	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न (आपबन्धन रूप लें) व इन्टरव बिकारि डिग्रां ०५/०१/२६ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
५/१/२६	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न (आपबन्धन रूप लें) व इन्टरव बिकारि डिग्रां १९/०२/२६ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
१९/०२/२६	पत्रावली पेश की गई। अफिम अफीम उपय पत्रावली वास्ते हुलवी नोटिस देख्यो लें। से न (आपबन्धन रूप लें) व इन्टरव बिकारि डिग्रां १९/०२/२६ को पेश हो २ राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ज ३
३३

फिनल
२१५२
३०/१०/१४

फिनल
३४
६/११/२६

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर



कपारीक पत्र
का कि जो सा
रिपो डेब्ट पेरा हो।

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
अपील टी0ए0 संख्या...294/2023 जिला दूह

2023/294

न्यायालय प्राधिकारी
अजमेर
03/10/23

चरणसिंह पुत्र रंगलाल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद,
जिला जयपुर हाल जिला दूह।

बनाम्

1. रामनारायण पुत्र रंगलाल
2. हनुमान पुत्र रंगलाल
3. जवाहरलाल पुत्र रंगलाल
4. शिवराज पुत्र रंगलाल
5. सीतादेवी पुत्री रंगलाल

समस्त जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला
जयपुर हाल जिला दूह।

6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद।
7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दूह।

-- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय,
दूह दिनांक 9.11.2016 जो प्रकरण संख्या 125/2016
(129/2023) बउनवानी "रामनारायण बनाम रंगलाल" में
पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांत निम्न रूप से निवेदन करता है :-

- (अ) यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट
संख्या 1 व 2 (जिन्हे आगे चलकर विपक्षीगण कहा जायेगा) ने